


Form No. III
न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, तिजारा
कई प्रकरण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण
दिनांक 24.04.2023 को किया जा चुका है।


उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल-तिजारा)



Form No. III

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)


कृष्ण सिंह बनाम जोगेन्द्र वर्गैरा

हुक्म का कार्यवाही मध्य इनीशियल जज
बाद पत्र - धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाद संख्या 597 वर्ष 2022

नम्बर व तारीख अहकाम
जो इस हुक्म की तारीख
में जारी हुए

आज यह पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित है को सुना
गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील वादी वास्ते तलबी
प्रतिवादीगण को साधारण व रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलबाने पेश करें। पत्रावली
16-01-2023 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

16/01/23

आज पत्रावली पेश हुई। 93 मिनट अवधि में। फर्द का 0 की तरफ से भी प्रतीक है।

पत्रा. पेश की अवधि पूर्ण अवधि अनुसार वास्ते... ल... तलबी


में दिनांक 24/01/23 को पेश हो।





उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

24/01/23

आज पत्रावली पेश थी कुल 340
वारी धांपी द्वारा वाद से Not Press किया है
प्रतावली धांपी Not Press पर वारी सा वाद जारी
किया जाता है प्रता पत्रावली वाद निर्णय तकरीब
नंबर 16 फर्द होकर दाखिल रहता है।


उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०


16/01/23

Not
Pressed

24-01-23